2018/ 01498

राजस्व लोक अदालत कैम्प बाणियावास तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 68 /2018

वादीगण :— 1 पप्पे खां पुत्र सुमार खां जाति मुसलमान निवासी मेघावास

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. मामेखां इदेखां पुत्र काजी खां वगै0 मुसलमान निवासी मेगावास सरपंच ग्राम पंचायत बाणियावास

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

आदेश दिनांक:—25.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत बाणियावास में प्रस्तुत की गई है।

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम मेगावास के खसरा न0 91, 92, 151 मे अपीलाण्ट के खातेदारी एक हिस्सा जरिये पिता के देहान्त के पश्चात नमान्तरकरण संख्या 319 के दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम रमदानखां दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार पप्पेखां पुत्र सुमार खां है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम पप्पेखां पुत्र सुमार खां करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता सेइती, रोशन, फिरोजी, इसेखां, गनीखां, पप्पेखां व पटवारी बाणियावास/आर.आई. बाणियावास/तहसीलदार पचपदरा व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिवार पत्र की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे रमदानखां की जगह पप्पेखां पुत्र सुमार खां नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम रमदानखां की जगह पप्पेखां पुत्र सुमार खां करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प बाणियावास

Scanned by CamScanner